

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक : F.3(23)UDH/II/2021-03669

जयपुर, दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

:: आज्ञा ::

राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.03.2026 में समिति की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान नगर नियोजन सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को **उप नगर नियोजक** (पे-मैट्रिक्स में लेवल संख्या L-16) के पद पर वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. सं.	पदोन्नत राजसेवक का नाम	संवर्ग	चयन वर्ष	रिक्ति तिथि	चयन की प्रकृति	विशेष विवरण
1.	सुश्री साक्षी बोहरा	-	2025-26	01.09.2025	वरिष्ठता-सह-योग्यता	-
2.	सुश्री दीप्ती बमणावत	अजजा	2025-26	01.09.2025	वरिष्ठता-सह-योग्यता	सेवा में प्रवेश की वरिष्ठता के आधार पर अनारक्षित वर्ग की रिक्ति के विरुद्ध
3.	श्री रविन्द्र	-	2025-26	01.09.2025	वरिष्ठता-सह-योग्यता	
4.	श्रीमती निकिता विजय	-	2025-26	01.09.2025	वरिष्ठता-सह-योग्यता	
5.	श्रीमती भावना माथुर	-	2025-26	01.09.2025	वरिष्ठता-सह-योग्यता	
6.	श्रीमती संतोष पी. सोनी	-	2025-26	01.09.2025	वरिष्ठता-सह-योग्यता	
7.	श्री मुकेश सैनी	-	2025-26	19.09.2025	वरिष्ठता-सह-योग्यता	
8.	श्रीमती राधिका शर्मा	-	2025-26	19.09.2025	वरिष्ठता-सह-योग्यता	
9.	श्री मनमोहन गौतम	-	2025-26	19.09.2025	वरिष्ठता-सह-योग्यता	
10	श्री नरेन्द्र कुमार उज्जैनिया	अजा	2025-26	19.09.2025	वरिष्ठता-सह-योग्यता	
11	श्री रामावतार मीणा	अजजा	2025-26	19.09.2025	वरिष्ठता-सह-योग्यता	सेवा में प्रवेश की वरिष्ठता के आधार पर अनारक्षित वर्ग की रिक्ति के विरुद्ध



उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति दिनांक से प्रभावी होगी, लेकिन वास्तविक नकद वेतन का परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। उक्त अधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,

(डॉ. राष्ट्रदीप यादव)
शासन उप सचिव-III

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5. संबंधित अधिकारी
6. प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव-III